

2021/59

"खाता पुनर्स्ती आवेदन पत्र"
(रा. म. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136), BORT Act

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
जायल (भागौर)
विषय :- राजस्व रिकॉर्ड पुनर्स्ती के संबंध में।

खाती नं
24.11.21

महोदय, उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम.....**लोनीली**.....की जमावन्दी संवत्.....**2073-2076**
खाता संख्या में 152 व 316

की खातिर खेती के खान नं 152 में अरिधे बेचान के बान्नि देवी पाली
रावत राम देवी हो गया था। वही खान नं 316 में अरिधे विराज राम
रावत राम पुत्र मुखाराम देवी हो गया था। जबकि मरा पट्टा
दस्तावेज में लोधताराम देवी है तथा बान्नि देवी के दस्तावेज में
श्रीमती देवी पाली लोकराम देवी है। बान्नि देवी के निवेदन है
कि मरा नाम उदास करी को कृपा करी


उक्त पुनर्स्ती किये जाने के आवेश फरमाने की कृपा करें।

49/21
24.11.21

खाती नं / 24.11.21

शिव तंजना

प्राची



श्री. नि. शास्त्री

दिनांक :-